समाहरणालय, मधुबनी

(जिला स्थापना शाखा)

–: <u>आ दे श</u> :–

दिनांक– 18.09.2019 को अंचल कार्यालय, मधवापुर के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि श्री मानेशर साह, लिपिक, अंचल नजारत एवं बाल विकास परियोजना, मधवापुर के नजारत के प्रभार में हैं तथा दो माह पूर्व स्थानान्तरित होने के बाद भी अभीतक नजारत का प्रभार नहीं सौंपे हैं एवं निरीक्षण के समय अनुपस्थित भी हैं। उनके अनुपस्थित रहने के कारण निरीक्षण हेतु रोकड़ बही/सहायक रोकड़ बही/बैंक विवरणी की जाँच नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त बाल विकास परियोजना के पोषाहार का पैसा लाभार्थियों के बीच वितरित नहीं हो सका है।

उपरोक्त वर्णित आरोप के आलोक में श्री साह लिपिक(नाजिर) को इस कार्यालय के आदेश 1147/जि0स्था0 दिनांक–19.09.2009 के द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अंचल अधिकारी, मधवापुर से प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर भेजने हेतु निदेश दिया गया था। इसी बीच श्री साह, लिपिक के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त कार्यहित में इस कार्यालय के ज्ञापांक–460/जि0स्था0 दिनांक–12.03.2010 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए प्रखंड कार्यालय, कलुआही में पदस्थापित किया गया और निलंबन अवधि के बकाया वेतनादि का भुगतान तथा दंड का स्वरूप विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अंचल अधिकारी, मधवापुर को उनके विरूद्ध प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर भेजने का निदेश दिया गया। अंचल अधिकारी, मधवापुर के ज्ञापांक–122 दिनांक–24.02.2010 के द्वारा प्राप्त आरोप प्रपत्र–'क' के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–630/जि0स्था0 दिनांक–13.04.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी, मधवापुर एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधवापुर को संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी को विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर 90 दिनों के अंदर संचालन/जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्र संख्या–642 दिनांक–23.06.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरान्त अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ भेजी गयी है। उनके द्वारा दिनांक–02.06.2012 को अंतिम सुनवाई करते हुए अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन में आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण तथा उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य अंकित किया गया है। विभागीय कार्यवाही अनिर्णित रहने के क्रम में ही श्री मानेश्वर साह, लिपिक दिनांक–31.03.2011 को सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्योपरान्त इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1005/जि0स्था0 दिनांक–22.06.2015 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन स्वतः परिवर्तित होकर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के अंतर्गत संचालित करने और तद्नुसार एतद् सम्बन्धी विचारण करते हुए उक्त नियम के आलोक में अंतिम आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त संचालन प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–59/जि0स्था0 दिनांक–07.01.2016 द्वारा श्री मानेश्वर साह, तत्कालीन लिपिक, अंचल मधवापुर सम्प्रति–सेवानिवृत्त प्रखंड कलुआही से सम्बन्धित मूल अभिलेख एवं अन्य कागजात बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के तहत सुनवाई हेतु अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मधुबनी को भेजा गया। अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मधुबनी का

पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर किये जाने के फलस्वरूप उक्त मामले की सुनवाई अपर समाहर्त्ता, मधुबनी के द्वारा किया गया।

अपर समाहर्त्ता, मधुबनी–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्र संख्या–39/रा0गो0 दिनांक–25.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरान्त अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ भेजी गयी है। उनके द्वारा दिनांक–19.01.2017 को अंतिम सुनवाई करते हुए अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन में आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण तथा उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य अंकित किया गया है।

आरोप संख्या–1

श्री मानेश्वर साह का स्थानान्तरण समाहर्त्ता मधुबनी के आदेश ज्ञापांक 658 दिनांक 30.06.09 द्वारा किया गया था, विरमित होकर कलुआही अंचल गये। प्रभार देने हेतु मधवापुर में नियुक्त हुए, प्रभार देने में आना–कानी करने लगे। कई स्मारों एवं दवाब के बाद 13.11.09 को नाजीर का प्रभार दिये।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

कंडिका–1: मैं अंचल एवं बाल विकास कार्यालय, मधवापुर के नजारत का नाजीर था। दोनों नजारत से संबंधित कागजातों का प्रभार सूची बनाने में समय लगा। मेरे द्वारा प्रभार में आना–कानी नहीं की गयी। प्रभार देने के क्रम में ही मेरी पत्नी की तबियत अत्यधिक खराब हो गयी और मैं ईलाज हेतु दरभंगा चला गया जिसकी सूचना मैंने अंचल अधिकारी, मधवापुर को दी थी।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

श्री साह का स्थानान्तरण समाहर्ता महोदय मधुबनी के आदेश ज्ञपांक 658 दिनांक 30.06.2009 द्वारा किया गया था विरमित होकर कलुआही प्रखण्ड में योगदान दिये। प्रभार देने हेतु मधवापुर में प्रतिनियुक्त हुए एवं दिनांक 13.11.2009 को नाजिर का प्रभार सौंपे जो सत्य है।

आरोप संख्या–2

मधवापुर अंचल कार्यालय से पत्रांक–92 एवं 93 दिनांक 18.03.09 द्वारा सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु साहरघाट/मधवापुर राजस्व हाट का अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को प्रेषित किया गया। त्रुटिमार्जन हेतु अभिलेख दिनांक 09.04.2009 को लौटा। अंचल अधिकारी, मधवापुर द्वारा सैरात सहायक (नाजीर) को मार्क किया गया। अभिलेख को नाजीर ने अपने पास रख लिया कभी उपस्थापित ही नही किया। फलतः सुरक्षित जमा निर्धारण में विलम्ब हुआ, हलाँकि सैरातों की बन्दोवस्ती कर दी गई हैं। राशि जमा करा ली गई हैं लेकिन सुरक्षित जमा निर्धारण में विलम्ब नही होना चाहिए था।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

कंडिका–2 साहरघाट/मधवापुर राजस्व हाट का अभिलेख मेरे द्वारा विलम्ब से उपस्थापन नहीं किया गया है बल्कि अभिलेख अंचल अधिकारी स्वयं रखे हुए थे। सैरात की बंदोवस्ती हो गई है तथा राशि भी जमा किया जा चुका है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

मधवापुर अंचल कार्यालय के पत्रांक–92 एवं 93 दिनांक 18.03.2009 द्वारा सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु राजस्व हाट साहरघाट/मधवापुर का अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी

को प्रेषित किया गया। त्रुटिमार्जन हेतु अभिलेख दिनांक 09.04.2009 को लौटा और सैरातों की बंदोवस्ती कर दी गयी। राशि जमा करा ली गयी जो सत्य है।

आरोप संख्या–3

लोकसभा निर्वाचन की घोषणा हो जाने के बाद सैरात बन्दोवस्ती पर भी रोक लग गई थी। फलतः विभागीय वसूली हेतु स्थानीय राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत किया गया था। राजस्व कर्मचारी वसूली की गई राशि जमा करने जब आते थे तो आरोपी नाजिर उपलब्ध नहीं रहते थे। फलतः प्रखंड नाजिर के यहाँ जमा कराया जाता था। वसूली की राशि नये नाजिर के प्रभार लेने के बाद जमा की जा सकी है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

कंडिका–3– राजस्व कर्मचारी द्वारा वसूल की राशि मुझे जब भी दी जाती है मैंने तत्काल जमा किया हूँ। यदि मैं वसूली राशि जमा नहीं लेता तो मेरे विरूद्ध तत्कालीन अंचल अधिकारी उच्चाधिकारी को जाकर पत्राचार करते लेकिन ऐसा कोई पत्राचार नहीं किया गया है बल्कि मेरे विरूद्ध मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

लोक सभा निर्वाचन की घोषणा हो जाने के बाद सैरात बंदोवस्ती पर भी रोक लग गई थी। फलस्वरूप विभागीय वसूली हेतु स्थानीय राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत किया गया था। राजस्व कर्मचारी द्वारा वसूली की गयी राशि जमा कराया जाता था जो सत्य है।

आरोप संख्या–4

अंचल अधिकारी द्वारा जनवरी 2009 के अन्तिम सप्ताह में प्रभार लिया गया था। उसके पूर्व भी कुछ अग्निकाण्ड हुए थे एवं कुछ बाद में भी हुए। राहत देने के लिए फण्ड की जानकारी मांगने पर नाजिर द्वारा यह बताया गया कि फण्ड नहीं है। हैरत की बात है कि प्रभारी प्रधान सहायक श्री विजय कुमार द्वारा इसका समर्थन किया गया। तत्पश्चात प्रखण्ड से राशि अग्रिम/उधार लेकर अग्निकाण्ड पीड़ितों को एक–एक हजार रूपये की राशि दी गयी। श्री साह के मुक्त होने के बाद उन्हें (अग्निपीड़ीतों को) पुनः 1250/–00 रूप्ये एवं एक एक क्विंटल गेहूँ दिया जा सका। जबकि, आपदा मद की राशि पर्याप्त थी।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

कंडिका–4– राहत देने के लिए फण्ड की जानकारी मांगने पर फण्ड नहीं है, के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी स्वयं रोकड़ बही देखने के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं यदि नाजीर झूठ भी कहता तो वे रोकड़ पंजी देख सकते थे तथा रोकड़ पंजी हस्ताक्षर के समय अंचल अधिकारी रोकड़ पंजी कईक बार विवरणी भी अवलोकन करते थे। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा राहत मद में फण्ड नहीं है की जानकारी देने की बात कहना हास्यास्पद लगता है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

अंचल अधिकारी, मधवापुर द्वारा जनवरी 2009 के अंतिम सप्ताह में प्रभार लिया गया था। पूर्व में विशनपुर पंचायत में अग्निकांड हुयी थी। अंचल नाजीर द्वारा बताया गया कि फन्ड नहीं है। प्रखंड नजारत से राशि लेकर अग्नि पीड़ितों का भुगतान दिया गया। पुनः फन्ड प्राप्त होने पर प्रखंड नजारत को वापस दिया गया जो सत्य है।

आरोप संख्या–5

जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा अंचल कार्यालय के निरीक्षण हेतु दिनांक 08.09.09 की तिथि निर्धारित थी, इसकी सूचना नाजिर को थी। निर्धारित तिथि के कई दिन पूर्व अपनी पत्नी

के इलाज हेतु नाजीर ने छुट्टी ली थी। दरभंगा से ही वे अपने छुट्टी बढ़ाने का आवेदन भेजवाते रहे। निरीक्षण से दो दिन पूर्व एवं एक दिन पूर्व अंचल अधिकारी, मधवापुर ने उन्हे फोन से सर्म्पक कर निरीक्षण की तिथि को हर हालत में उपस्थित रहने हेतु कहा लेकिन, निरीक्षण के दिन वे जानबूझ कर गैरहाजिर रहे। फलतः जिला पदाधिकारी अत्यन्त नाराज हुए।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

कंडिका–5– जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा अंचल कार्यालय के निरीक्षण की तिथि 18.09.2009 को रहने की जानकारी मुझे नहीं थी। क्योंकि मैं दिनांक 07.09.2009 से अपनी पत्नी की गहन चिकित्सा हेतु अवकाश में चला गया था और मैं दिनांक 30.09.2009 तक अवकाश में था। अवकाश अवधि में मुझे किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गयी कि जिला पदाधिकारी महोदय का निरीक्षण दिनांक–19.09.2009 को है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

जिला पदाधिकारी महोदय, मधुबनी द्वारा अंचल कार्यालय, मधवापुर के निरीक्षण हेतु दिनांक–18.09.2009 की तिथि निर्धारित थीं दिनांक–07.09.2009 को अपनी पत्नी की चिकित्सा हेतु आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति लेकर दरभंगा गये थे। बीच–बीच में दरभंगा चिकित्सालय से छुट्टी बढ़ाने का आवेदन भेजते रहे इस प्रकार दिनांक–07.09.2009 से 30.09.2009 तक अवकाश में रहे। जिला पदाधिकारी महोदय, मधुबनी द्वारा निरीक्षण की जानकारी नहीं होने का व्यान दिया है, जो सत्य है।

आरोप संख्या–6

दिनांक–18.09.2009 को जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय मधवापुर के निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित थी, जिसकी सूचना श्री साह को दी गयी थी फिर भी वे पत्नी की चिकित्सा का बहाना बनाकर मुख्यालय से अनुपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में रोकड़ बही अद्यतन नहीं पाया गया। यहॉ तक कि इस कार्यालय के रोकड़ बही की जॉच स्थापना काल से ही नहीं हो रही है जो आपके अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

कंडिका–6: दिनांक–18.09.2009 को जिला पदाधिकारी महोदय मधुबनी द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय मधवापुर के निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित थी उक्त तिथि के कई दिन पूर्व श्री मानेश्वर साह अपनी पत्नी के ईलाज हेतु छुट्टी ली थी। निरीक्षण के कम में रोकड़ बही 02.07.2009 तक अद्यतन था। दिनांक 03.09.2009 को आय–व्यय शुन्य थी पत्नी की चिकित्सा हेतु अवकाश में दिनांक–30.09.2009 तक था जिसके फलस्वरूप मैं जिला पदाधिकारी महोदय के निरीक्षण हेतु तिथि 18.09.2009 को उपस्थित नहीं हो सका फिर भी यदि मुझे निरीक्षण की जानकारी दी जाती तो मैं निरीक्षण के समय में उपस्थित रहता लेकिन मुझे निरीक्षण की कोई भी सूचना नहीं दी गयी। अपने स्पष्टीकरण को स्वीकार कर आरोप से मुक्त करने का अनुरोध श्री साहु ने किया है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

दिनांक–18.09.2009 को जिला पदाधिकारी महोदय, मधुबनी द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय, मधवापुर के निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित श्री उक्त तिथि के कई दिन पूर्व भी मानेश्वर साह अपनी पत्नी की ईलाज हेतु छुट्टी ली थी। निरीक्षण के क्रम में रोकड़ बही 02.07.2009 तक अद्यतन था। दिनांक–03.09.2009 को आय–व्यय शुन्य थी। दिनांक–04.07.2009 को इनको प्रखंड कार्यालय, कलुआही हेतु विरमित कर दिया गया था।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :–

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधवापुर एवं अंचल अधिकारी, मधवापुर ने आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेखित बातों पर कंडिकावार स्थिति का उल्लेख करते हुए अपनी सहमति जताया है।

विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में उपलब्ध साक्ष्यों से निम्नांकित तथ्य जाँच में सामने आये :–

1. स्थानान्तरण हो जाने के बाद प्रभार देने में विलम्ब किये जाने के कारण ही आरोप पत्र नियंत्री पदाधिकारी द्वारा गठित किया गया, आरोप प्रमाणित पाया गया।
2. भले ही सैरात की बंदोवस्ती हुयी लेकिन सुरक्षित जमा निर्धारण में विलम्ब होने के कारण ही आरोप पत्र गठित किया गया, आरोप प्रमाणित पाया गया।
3. श्री साह के विरमित होने के बाद नये नाजिर के प्रभार लेने के बाद सैरात वसूली की राशि जमा हुयी जो श्री साह के मनमानी किया जाना दर्शाता है गठित आरोप प्रमाणित पाया गया।
4. आपदा मद में पर्याप्त राशि रहने के वावजूद नाजिर द्वारा राहत मद में राशि की अनुपलब्धता बतायी गयी, जिसके कारण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत वितरण में विलम्ब हुआ, जिसके लिए नाजिर पूर्णतः दोषी पाये जाते हैं। आरोप प्रमाणित पाया गया।

5–6. जिला पदाधिकारी का कार्यालय निरीक्षण की जानकारी नाजिर को नहीं हो पाना सम्भव नहीं जान पड़ता है। आरोप संख्या–5–6 प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य :–

इस प्रकार श्री मानेश्वर साह तत्कालिन लिपिक–सह–नाजिर, अंचल मधवापुर सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, कलुआही (सेवानिवृत्त) पर गठित प्रपत्र–क के सभी आरोप प्रमाणित पाये गये।

द्वितीय कारण पृच्छा :–

अपर समाहर्त्ता, मधुबनी के पत्रांक 39/रा0गो0, दिनांक 25.01.2017 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति भेजते हुये श्री मानेश्वर साह तत्कालीन लिपिक अंचल मधवापुर सम्प्रति प्रखण्ड कार्यालय कलुआही (सेवा निवृत) से इस कार्यालय के ज्ञापांक–211/जि0स्था0 दिनांक–16.02.2017 एवं त्तसम्बन्धी स्मार ज्ञापांक 955/जि0स्था0, दिनांक 06.07.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(3) में निहित निदेश के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। तद्‌आलोक में उनके द्वारा दिनांक 09.08.2017 को अपना द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जो निम्नवत है :–

आरोप संख्या–01 :– प्रभार देने में आनाकानी करने के संदर्भ में कहना है कि दिनांक–30.06.2009 को स्थानान्तरण आदेश निर्गत के पश्चात् मुझसे नजारत जैसी शाखा का प्रभार दिलवाये बिना दिनांक–04.07.2009 को आनन–फानन में विरमित कर दिया गया। प्रभार देने हेतु प्रतिनियुक्ति पर मैं 21.07.2009 को मधवापुर पुनः गया। नजारत शाखा में करोड़ों के आय–व्यय के कागजात होते हैं। कागजात व्यवस्थित करते हुए प्रभार देना आरम्भ किया। अगस्त में ही बहुत से प्रभार दिये। उल्लेखनीय है कि भारग्राही नाजीर ने रोकड़पंजी दिनांक–05.09.2009 से ही (आय–व्यय शून्य) संधारित किया है और 16.09.2009 को आय–व्यय का उल्लेख है। सितम्बर, 2009 में मेरी पत्नी की तबियत काफी खराब हो गयी। फलतः मैंने 07.09.2009 को अवकाश आवेदन पत्र देकर दरभंगा अपनी पत्नी की ईलाज हेतु गया। वहीं चिकित्सा क्रम में समय लगा। अक्टूबर में वापस आया। प्रभार सूची बनाने लगा। पर्व–त्योहारों के अवकाश तथा भारग्राही नाजीर के अपने पूर्व पदस्थापन स्थान पर प्रभार देने के लिए चले जाने के कारण अंतिम रूपेण पूर्ण प्रभार नवम्बर 2009 में सौंप दिया। प्रस्तोता

पदाधिकारी ने भी मेरे कथन को सत्य कहा है। साथ ही अनेक वर्षों के काजगात, वित्तीय मामले होने के कारण सुरक्षित रखे जाते हैं। उसके अलावे भी मुझे अन्य संचिका/अभिलेख आदि के प्रभार थे। मैंने प्रभार देने में कोई आना–कानी नहीं की है और नही कोई दुर्विनियोग/गबन आदि का मामला है। मैं निर्दोष हूँ।

आरोप संख्या–02 :– सहारघाट/मधवापुर राजस्व हाट का सुरक्षित जमा निर्धारण का अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी द्वारा त्रुअि परिमार्जन हेतु वापस किया गया, जो 09.04.2009 को लौटा। अभिलेख में नहीं रखा था। अंचल अधिकारी ने अपने पास रखे थें बाद में विलम्ब से सुरक्षित जमा निर्धारित कर बन्दोवस्ती हुई। विदित हो कि हाट/मेला अप्रील श्रेणी का सैरात है। अनुमंडल पदाधिकारी से आपत्ति/सुक्षाव के साथ अभिलेख 09.04.2009 को वापस प्राप्त हुआ, जबकि सैरात की अवधि 01.04.2009 से ही आरंभ होती है। अंचल अधिकारी ने भी मुझे स्मारित नहीं किया, क्योंकि अभिलेख उनके पास ही थे। इस स्थिति में मैं दोषी नहीं हूँ।

आरोप संख्या–03 :– सैरात बन्दोवस्ती की राशि कर्मचारी द्वारा वसूलने तथा कर्मचारी से उक्त राशि प्राप्त करने हेतु उपलब्ध नहीं रहने के संबंध में समर्पित करना है कि नाजीर का काम सरकारी राशि लेने के अलावा अन्य कार्य भी करने होते हैं। राशि लेने हेतु कार्यालय में उपलब्ध नहीं था तो अलग कर्त्तव्यरत होंगे। मेरी अनुपस्थिति के लिए तिथियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे मैं स्थिति स्पष्ट कर सकूँ। मैं अपने कार्य एवं दायित्व के प्रति सजग रहा हूँ। उस समय प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अं0 अ0 एक ही पदाधिकारी थे। मैं सपिरवार मधवापुर सरकारी आवास में रहता था। ऐसी स्थिति में अनुपलब्ध रहने की स्थिति ही नहीं बनती है। अंचल की राशि प्रखंड नजारत में क्यों एवं किस स्थिति में जमा करवायी गई, अं0 अ0 की बतला सकते हैं। मेरे विरूद्ध अनुपस्थिति, फरारी आदि की कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे कर्त्तव्य वेतन का भुगतान हुआ है। इस प्रकार एक और कर्त्तव्य पर अनुपलब्ध रहने का आरोप लगाना तथा उस समय का दूसरी ओर कर्त्तव्य वेतन देना, दोनों में विरोधाभास तथा आधारहीन है। इस स्थिति में आरोप स्वतः गलत प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–04 :– अग्नि सहाय्य मद की राशि की अनुपलब्धता के बारे में मेरे द्वारा दी गई सूचना सही थी। प्रस्तोता पदा0 ने भी कहा है कि फण्ड प्राप्ति के बाद अंचल नजारत ने प्रखंड नजारत को राशि वापस कर दिया। इससे स्पष्ट है कि उस मद में वास्तव में पूर्व से राशि नहीं थी। मेरा कथन सही होने पर भी मुझे दोषी नहीं कहा जा सकता है।

आरोप संख्या–05 :– जिला पदाधिकारी महोदय के निरीक्षण की तिथि 18.09.2009 को जानबूझ कर अनुपस्थिति रहने के संदर्भ में मुझे समर्पित करना है कि मैं 07.09.2009 से अवकाश में गया। पत्नी की तबियत काफी खराब थी। 07.09.2009 से लगातार 25.09.2009 तक उसकी प्रतिदिन रोग विज्ञान संबंधी जाँच (Pathological/Clinical Test) दरभंगा में करवानी पड़ी थी। जिला पदाधिकारी का निरीक्षण कार्यक्रम संबंधी पत्र दिनांक–06.09.2009 अंचल अधिकारी का दिनांक–11.09.2009 को प्राप्त हुआ था। मेरे पास उस समय कोई मोबाईल फोन भी नहीं था, जिससे अं0 अ0 ने मुझे सूचना दी हो। वास्तव में मुझे निरीक्षण की तिथि की कोई जानकारी नहीं थी और न अं0अ0 ने कोई जानकारी दी। मैं तो अपनी बीमार पत्नी की चिकित्सा में डा0 मीना महासेठ तथा डा0 ए0के0प्रसाद के यहाँ व्यस्त तथा चिन्तित था। इस स्थिति में जानबूझ कर निरीक्षण के दिन अनुपस्थित रहने के आरोप का प्रश्न नहीं उठता है। प्रस्तोता पदा0 ने भी मेरे कथन को सत्य कहा है। प्रतिनियुक्त अवधि की अनुपस्थिति विवरणी में भी सिर्फ चिकित्सा अवकाश अवधि 07.09.2009 से 30.09.2009 दर्शायी हुई है। अंकनीय है कि इसी आधार पर मुझे जिला पदाधिकारी के आदेश संख्या–1147/स्था0 दिनांक–19.09.2009 द्वारा निलम्बित कर दिया गया। पुनः जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश ज्ञाप

संख्या–460/स्था0 दिनांक–12.03.2010 से कार्यहित में निलम्बन से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार आरोप को प्रमाणित कहना न्याय संगत नहीं है।

आरोप संख्या–06 :– बाल विकास परियोजना कार्यालय के निरीक्षण के समय पत्नी की चिकित्सा का बहाना बनाकर अनुपस्थिति रहने तथा रोकड़बाजी की जाँच नहीं होने के सम्बन्ध में कहना है कि अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण आरोप संख्या–5 में दिया गया है। विरमित होने के दिन (04.07.2009) रोकड़पंजी अद्यतन कर बाल विकास पदाधिकारी को मैंने हस्तगत करा दी थी। उसके बाद यदि कोई लेन–देन किया गया था तो बाल विकास पदा0 को रोकड़पंजी लिखना या लिखवाना था, क्योंकि विरमित हो जाने के बाद मुझे रोकड़पंजी लिखने का दायित्व नहीं रहा। रोकड़पंजी की जाँच की व्यवस्था बाल विकास पदाधिकारी को करनी थी क्योंकि रोकड़पंजी की जाँच, लिखने/संधारण करने वाले से भिन्न कर्मचारी से करवानी है (cash book should be checked by the other than the writter)। इस प्रकार रोकड़पंजी अद्यतन नहीं रहने तथा जाँच नहीं होने के लिये मुझे दोष नहीं दिया जा सकता।

उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त मुझे सादर समर्पित करना है कि कोई भी आरोप दुर्विनियोग, गबन, सरकारी धन की क्षति, गंभीर कदाचार, घोर असावधानी सदृश्य नहीं है। संचालन पदाधिकारी ने गठित आरोप, मेरे स्पष्टीकरण तथा प्रस्तोता पदा0 के प्रतिवेदन की विवेचना नहीं की है तथा सहज रूप से सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किये हैं।

आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इसे स्वीकार करने तथा दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

निष्कर्ष :–

श्री मानेश्वर साह, तत्कालिन लिपिक–सह–नाजिर, अंचल मधवापुर, सम्प्रति–प्रखंड कार्यालय, कलुआही (से0नि0–31.03.2011) के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोप, उक्त आरोप पत्र के आलोक में आरोपी कर्मी श्री साह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण और उक्त स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य एवं प्रतिवेदन तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त प्रतिवेदित प्रतिवेदन के विवेचना एवं समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आरोपी कर्मी के विरूद्ध सैरात की बन्दोवस्ती, प्रभार का आदान–प्रदान, रोकड़ बही अद्यतन नहीं करने से सम्बन्धित आरोप का अनुपालन आरोप गठित होने के पूर्व ही कर दिया गया है। जैसा कि उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य से स्पष्ट है। साथ ही इनके सेवानिवृत्ति के बाद अद्यतन, आरोपी कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार की वित्तीय क्षति प्रतिवेदित नहीं है। आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि ये त्तसमय अपनी पत्नी की चिकित्सा हेतु दरभंगा आना–जाना करते थे। इसी दौरान स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप रोकड़ बही अद्यतन करने एवं प्रभार देने में विलम्ब हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार की राशि का दुर्विनियोग, गंभीर कदाचार, अतिशय लापरवाही परिलक्षित नहीं है। सेवा काल के अंतिम चरण में परिस्थितिजन्य कारणों से कार्य में विलम्ब हुआ है। आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। वर्णित आरोपों के लिये ये दिनांक–19.09.2009 से 12.03.2010 तक निलम्बित भी रहे हैं। निलम्बन अवधि में मात्र श्री साह, सेवानिवृत्त लिपिक को जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा का निदेश संसूचित किया गया है। उपरोक्त वर्णित मामले के समीक्षोपरान्त यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इनके द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय अनियमितता नहीं बरती गयी है और प्रतिवेदित आरोप का गठन करने के पूर्व ही इसका अनुपालन किया जा चुका है। इस मामले पर अब अग्रेतर कार्रवाई करने की आवश्यकता समीचीन प्रतीत नहीं होती है।

अतएव उपरोक्त के आलोक में श्री मानेश्वर साह, तत्कालिन लिपिक–सह–नाजिर, अंचल मधवापुर, सम्प्रति–प्रखंड कार्यालय, कलुआही (से0नि0–31.03.2011) को सम्यक विचारोपरान्त आरोप से मुक्त करते हुये दिनांक–19.09.2009 से 12.03.2010 तक के निलम्बन अवधि के बकाया वेतनादि भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। पूर्व में उक्त अवधि में भुगतीत जीवन निर्वाह भत्ता के राशि का समायोजन के पश्चात ही शेष राशि का भुगतान किया जायेगा। इस आशय की प्रविष्टि श्री साह के सेवापुस्त में लाल स्याही से अंकित की जायेगी। साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

सभी सम्बद्ध को सूचित करें।

ह0—
जिला दण्डाधिकारी एवं
समाहर्त्ता, मधुबनी।

ज्ञापांक 1436 /जि0स्था0, मधुबनी, दिनांक 29 / 08 /2019 ई0।

प्रतिलिपि : श्री मानेश्वर साह, तत्कालिन लिपिक–सह–नाजिर, अंचल मधवापुर, सम्प्रति–प्रखंड कार्यालय, कलुआही (से0नि0–31.03.2011) स्थाई पता–ग्राम+पो0–जगवन, भाया–कमतौल, प्रखंड–विस्फी, जिला–मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलुआही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मधवापुर/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधवापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधुबनी/उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी/आई0टी0 प्रबंधक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ तथा सभी सम्बन्धित पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

29/8/19
जिला दण्डाधिकारी एवं
समाहर्त्ता, मधुबनी